"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अगस्त 2013—श्रावण 10, शक 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-47/2011/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक-4, 5 एवं 6 के कॉलम (5) में, अंक "35" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 2-47/2011/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-47/2011/नौ/55, दिनांक 29-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 29th July 2013

NOTIFICATION

No. F. 2-47/2011/NINE/55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Public Health (Indian System of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In column (5) of Serial Number-4, 5 and 6 of Schedule-III, for the figure and words "30 year (35 year for domicile of Chhattisgarh)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.